भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1352

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गैर-चिकित्सा पेय पर "ओआरएस" शब्द का दुरुपयोग

†1352. श्री जी. कुमार नायक:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के दिनांक 14 अक्तूबर, 2025 के आदेश को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई की है जिसमें उन पेय पदार्थों पर "ओआरएस" शब्द के प्रयोग पर रोक लगाई गई है जो चिकित्सकीय रूप से निर्धारित ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन मानकों के अनुरूप नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खुदरा बिक्री केन्द्रों और औषधालयों से "ओआरएसएल" और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों जैसे गैर-अनुपालन वाले उच्च-मीठे पेय पदार्थों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए कोई निरीक्षण, प्रवर्तन कार्रवाई या बाजार निगरानी अभियान चलाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए गए उत्पादों की संख्या कितनी है और संबंधित विनिर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार का ओआरएस के रूप में गैर-चिकित्सा पेय पदार्थों की भ्रामक बिक्री को रोकने के लिए खुदरा

विक्रेताओं, वितरकों और उपभोक्ताओं के लिए कोई जागरूकता या शैक्षिक उपाय करने का विचार है और यदि हां, तो इसके लिए क्या समय-सीमा प्रस्तावित है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मापदंड निर्धारित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों का साझा दायित्व है।

एफएसएसएआई ने अपनी नियामक निगरानी के तहत 15.10.2025 को सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को निर्देश जारी किए हैं कि वे "ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस)" शब्द वाले किसी भी ब्रांड नाम/उत्पाद नाम को सभी वितरण चैनलों तथा ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से तत्काल प्रभाव से हटा दें।

इसके अतिरिक्त, एफएसएसएआई और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से सभी प्रवर्तन प्राधिकरणों को ऐसे एफबीओ के विरूद्ध तथा गैर-कार्बोनेटेड जल-आधारित पेय/फल-आधारित पेय/ रेडी टू सर्व/ पीने योग्य पेय पदार्थों पर " ओआरएस " शब्द का उपयोग कर भ्रामक खाद्य लेबल लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियामक कार्रवाई शुरू करने की एडवाइजरी जारी की है।

अब तक, ऐसे एफबीओ को सुधार नोटिस, निलंबन आदेश और कारण बताओ नोटिस सहित कुल 87 (सतासी) नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

एफएसएसएआई 'ईट राइट इंडिया' आंदोलन को निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य परिचर्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से चला रहा है। यह तीन मुख्य स्तंभों – ईट सेफ , ईट हेल्थकेयर, एंड ईट सस्टेनेबल पर आधारित है। 'ईट राइट इंडिया' पहल के तहत लोगों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

*****